



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

SITTING NOTICE

फा.सं.: NCST/DEV-6938/MP/1/2026-RU-IV

दिनांक: 23.03.2026

1 श्री बद्रीनाथ सिंह,
जिलाधिकारी
जिला सोनभद्र,
डीएम कार्यालय, लोधी,
सोनभद्र, उत्तर प्रदेश 231216
ई-मेल: dmson@nic.in

2 श्री अभिषेक वर्मा
पुलिस अधीक्षक (SP)
जिला - सोनभद्र,
एसपी निवास, लोधी रॉबर्टसगंज
सोनभद्र, उत्तर प्रदेश 231216
ई-मेल: spsbr-up@nic.in

विषय: राजस्व कर्मी एवं पुलिस प्रशासन द्वारा एक विशेष राजनैतिक पार्टी के भू-माफियाओं के प्रभाव में प्रार्थी की सड़क किनारे स्थित भूमि का अविधिक तरीके से अकृषक प्रयोजन (for the purpose of non-agriculture) घोषित कर विधि विरुद्ध तरीके से कब्जा करने के संबंध में - श्री राजा राम, पुत्र- स्व. श्री दयाराम, ग्राम-राजासरई थाना-बभनी, जिला सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) का दिनांक 20.01.2026 का पत्र/अभ्यावेदन

संदर्भ: NCST Notice dated 30.01.2026

महोदय,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है।

2. डॉ आशा लकडा, माननीया सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, कोर्ट रूम, 6 वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक **01.04.2026 को 14:10 Hrs** बजे सिटिंग/सुनवाई निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप** से और माननीया सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

(यो. प्र. यादव / Y. P. Yadav)

निदेशक / Director

E.mail: ru4-hq@ncst.nic.in

Ph: 011-24645826

प्रति, सिटिंग में उपस्थित होने के लिए सूचनार्थ:

श्री राजा राम,
पुत्र- स्व. श्री दयाराम,
ग्राम-राजासरई थाना-बभनी,
जिला सोनभद्र (उत्तर प्रदेश)
Mobile No:9793121072

(ii) PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)

(iii) NIC for uploading